

516  
2025

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र पुस्कर सिंह जाति जाट निवासी नापावाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 516/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1071


आदेश

दिनांक 04/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम नापावाली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 68, 31 में वादी के दादाजी के भाई का गलत दर्ज नाम "पदमल पुत्र रूडा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "रामकुमार पुत्र रूडा" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
राजस्थान उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड नीमकाथाना  
नीमकाथाना (सीकर)



## डिक्री मुकदमा इब्तदार

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र पुरकर सिंह जाति जाट निवासी नापावाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाग

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी


**दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड**  
मुकदमा नं. **516** सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरु ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम नापावाली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 68, 31 में वादी के दादाजी के भाई का गलत दर्ज नाम "पदमल पुत्र रुडा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "रामकुवार पुत्र रुडा" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।  
बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **04** माह **09** सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

  
दस्तखत.....  
राजवीर सिंह यादव  
ओहदा.....  
उपखण्ड अधिकारी

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।